प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 34/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'' पर भादूविप्रा द्वारा 29 मई, 2020 को जारी सिफारिशें के संबंध में स्पष्टीकरण।

नई दिल्ली, 31 मई, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 29 मई, 2020 को ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'' पर सिफारिशें जारी की थी। इस संबंध में उसी दिन एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

2. इस संबंध में यह देखा गया कि कुछ मीडिया हाउस ने यह खबर दी कि भादूविप्र ने मोबाइल सेवाओं क लिए 11 अंकों की नंबरिंग योजना की सिफारिश की है। यह उपर्युक्त सिफारिशों की पूर्णतया गलत व्याख्या है। भादूविप्रा ने मोबाइल सेवाओं के लिए 11 अंकों की नंबरिंग योजना की सिफारिश नहीं की है।

3. वस्तुतः भादूविप्रा की सिफारिशों के अनुसार, देश मोबाइल सेवाओं के लिए 10 अंकों की नंबरिंग को जारी रखेगा। हमने 11 अकों की मोबाइल नंबर योजना में शिफ्टिंग को पूरी तरह से खारिज किया है।

4. इसके अलावा, भादूविप्रा ने फिक्स्ड लाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले '0' लगाने की सिफारिश की है। विशेष किस्म की कॉल के लिए नंबर से पहले अंक लगाने की व्यवस्था की शुरूआत को टेलीफोन नंबर में अंकों की संख्या बढ़ाने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। डायलिंग पैटर्न में इस बदलाव से भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल सेवाओं के लिए 2544 मिलियन अतिरिक्त नंबरिंग संसाधन जनरेट होंगे।

5. यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मौजूदा डायलिंग योजना में फिक्स्ड लाइन नंबर से फिक्स्ड लाइन नंबर पर इंटर-SDCAI[1] कॉल करते समय पहले '0' लगाना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर से किसी फिक्स्ड लाइन पर कॉल करते समय भी पहले '0' लगाना अनिवार्य है।

---

[1]SDCA का अर्थ शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया, तालुका के समतुल्य से है। बेसिक/फिक्स्ड लाइन सेवाओं के लिए देश को 2645 SDCA में विभाजित किया गया है। प्रत्येक SDCA में एक विशिष्ट SDCA कोड दिया गया है जैसे दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22 और लखनऊ मे लिए 522। अतः वर्तमान सिफारिशें डायलिंग पैटर्न में मामूली बदलाव का सुझाव देती हैं।

6. सिफारिशें भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की गई हैं। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर +91–11–23233291 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>